F13/603/15/1/25

किया: यादिका किमां माह अटर किया किएस एवं अ-4-1 निलं सिवन निष्प मा म नामन एवं रेग-या यूर्व १४८ के नायानाभीन आद्भी दिनांद 6/2/16 ERT ACTED OF C निमुक्त किया भारत है। कादेश की ह्वायप्रि क्रिंग्ताक कार, भारत माली ००० का का किताली। Shi 17.278 21.3.16 प्रतियकां कार्य हत् नत्ती त्वरिट स्वमाम के क्रिता के अस्त 5702/2012

साकेषुधी—135—उनिसाकेषुधी—19-6-15—20,000.

http://172.16.180.43/cishcbom/Demo/menu.php

## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 171517/2015

WP/17576/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur for adm.
Fixed for 10-12-2015
WP-DA-14
Respondent No. 2

Commissioner Tribal Welfare Department,
Satpura Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 30-10-2015

Sub: No. WP/ 17576/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Satish Kumar Sahu has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/17576/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 10-12-2015. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

**Encl: Copy of Petition** 

Your faithfully

3

DEPUTY REGISTRAR

2 of 5

10/7

## कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश

कमांक / स्था07-बी / 8683 / **2016** / **\_2** 9 **)** ५

मोपाल,दिनांक......6/2/16

## नियुक्ति आदेश

था**धिका** प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू०पी० 17576/15 श्री सतीश कुमार साहू, यू.डी.टी. जिला सिवनी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4/198/2001/25/1 दिनांक 01.08.2001 द्वारा प्रत्यारापित अधिकारों के तहत् सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-6) के आदेश सत्ताइंस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी (म०प्र0) को (पक्षकारों के नाम ऊपर वर्णित) मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवधनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये आयेदन करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं । प्रमारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा –

प्रभारी अधिकारी प्रकरण के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में 1. उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि प्रकरण के संघालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है. रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विमाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावेगी ।

समस्त सुसगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।

2. वाद पत्र / याधिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी 3. देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है एक स्पिर्ट तैयार करेगा । उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अभिगायक से संपर्क करेगा ।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवाएगा । 5.

प्रमारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र मेजेंग्रे :--6.

बाद पत्र की एक प्रति के साथ शासन की एक रिपोर्ट ।

प्रस्ताविस निम्न कथन का एक प्रारूपः। (ख)

'अन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें स्त्रह्म स्वरूप काईल करना प्र**स्कृतित है औ**र जिन्हें प्रस्<u>त</u>ुत ्रा हिमो**र्ट में अदेशा की गई है ।** एका विकास का प्राप्त के अपने के स्वार्थ के अने कि अने कि अने कि अने कि अने कि

(घ) प्रकरण के विश्वद्वीकरण के लिये आवस्यक क्यांज प्रक्तों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की सारीस्ट्र भी वर्णित होनी वाहिये ।

प्रकरण की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अविवयता का सहयोग करना और नामले उसके प्रक्रम और प्रमति में नियत किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव खंदगत रखना 1

जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतयाः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया गया, तब विधि विभाग को 8. सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस में आवेदन

अपनी रिपोर्ट के साथ निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये

जाने के लिये इस विभाग को भेजेंगे ।

यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, सर्व प्राप्त करने और उसकी सचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।

जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के मध्यम से तत्काल जानकारी 11. देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रमारी अधिकारी नियुक्त कर दिया जाये 🕛

7.

9.

10.

5

प्रभारी अधिकारी प्रकरण तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता का हर सभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तायेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये। 13,

प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो यह जैसे ही दाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को करेगा। निर्णय की एक प्रांत अभियाप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ मेजी

प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों 14 ा जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अंतएवं वह इस आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें। 15.

प्रभारी अधिकारी मामले में उच्च / उच्चतम न्यायालय के समक्ष अवील / रिवीजन प्रस्तुत करने के लिये भी अधिकृत होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयास करें की उस ज्य अपील /रिवीजन प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाये और निर्धारित (निहोत) अवधि में अपील / रिसीजन प्रस्तुत हा जाये ।

पृष्ठांकन/स्था.7—बी/8683/16/2915 प्र<u>तिलिपिः</u>—

मोपाल ,दिनांक.....८./१ /। 6

- महाधिवक्ता जबलपुर म0प्र0 !
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भौपाल म०प्र०। 3
- प्रमुख सिवव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मोपाल म०५०। 4
- कलेक्टर, सिवनी म०प्र०।
- संभागीय उपायुक्तः / नोडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ), आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, 5 जबलपूर म0प्र0 ।
- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला सिवनी (म०प्र०) प्रभारी अधिकारी की 6 ओर अग्रेबित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट)पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाष्यक को भेजने हेतु अग्रवित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विमाग को सदैव हैं। भेजनी वाहिये। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से मेजी जाये। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विधि एवं नियमों के साथ तथ्यसंगत पूरी स्थिति रखें । मामले में स्थगन आदेश हो तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थान हटाने की प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित करें । मामले में प्रस्तुत यादोत्तर की प्रति तत्काल शासन एवं इस

प्रभारी अधिकारी शिक्षा स्थापना शाखा मुख्यालय मोपाल, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक 7